कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांकः 1151 दिनांकः 29-10-2025

रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ **विकास कुमार स्वामी, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर** द्वारा माह नवम्बर 2025 पड़ने वाले अवकाशों के दिन सीकर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, मृत्युकालीक कथन, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य) की सुनवाई हेतु निम्न पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम न्यायिक अधिकारी	पदनाम	अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1.	श्रीमति ईशा सांघी	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–03, सीकर	2 नवम्बर 2025
2.	श्रीमति संध्या पूनिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–02, सीकर	5 नवम्बर 2025
3.	श्री हिमांश कुमावत	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर	8 व 9 नवम्बर 2025
4.	श्री जयराम जाट	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–01, सीकर	16 नवम्बर 2025
5.	श्रीमती आस्था अग्रवाल	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कुड़ली	22 व 23 नवम्बर 2025
6.	श्री प्रशांत पूनिया	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–02, सीकर	30 नवम्बर 2025

1. **अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 11.30 ए.एम. से 2.00 पी.एम. तक रहेगा।**

2. विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा मुलजिम को पेश करने वाला अधिकारी संबंधित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करे।

3. अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।

4. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के ठीक पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।

5. नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को ड्यूटी करने में असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगें।

(विकास कुमार स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

क्रमांक- 1152-1162 **दिनांक-** 29-10-2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर,
2. श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर,
3. सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री **श्रीमति ईशा सांघी /श्रीमति संध्या पूनिया /श्री हिमांशु कुमावत/श्री जयराम जाट /श्रीमती आस्था अग्रवाल/श्री प्रशांत पूनिया**
4. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सीकर वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र,
5. उप-निदेशक, अभियोजन विभाग, सीकर,
6. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, सीकर,
7. प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय, सीकर,
8. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर सीकर,
9. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सीकर,
10. जिला कारागृह, सीकर,
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय सीकर की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
12. -आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

(विकास कुमार स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)